न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 22/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. महेन्द्र पुत्र खीयाराम 2. अनिल पुत्र खीयाराम 3. हुकमाराम पुत्र चैनाराम 4. जीयाराम पुत्र चैनाराम 5. धन्नाराम पुत्र चैनाराम 6. गंगाराम पुत्र चैनाराम 7. गजाराम पुत्र चैनाराम 8. छीपाराम पुत्र लाबूराम 9. थानाराम पुत्र लाबूराम 10. श्रीमती चन्द्रो देवी पत्नी तेजाराम 11. मोहनराम पुत्र तेजाराम 12. सुमेराराम पुत्र तेजाराम 13. बिशनाराम पुत्र तेजाराम 14. नगा पुत्र जवरीराम 15. अचला पुत्र जवरीराम 16. गिरधारी पुत्र जवरीराम समस्त जातियान–मेघवाल, निवासी– भालू उदयनगर, तहसील बालेसर		1. तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण कमांक 1813 में दिनांक 06.06.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27 मार्च, 2024

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण कमांक 1813 दिनांक 06.06.2018 में पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील दिनांक 04.02.2019 को प्रस्तुत की गई।

2. पक्षकरान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार बालेसर के द्वारा रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का

निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम भालूकला तहसील बालेसर के ख0सं0 671, 674, 670, 675,696, 677, 703, 701, 708, 710, 704, 705, 706, 717, 711 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते की रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित कर दिया गया जों अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जबकि उक्त खसरान में अपीलान्टस के खसरा संख्या 703 की भूमि भी रास्ते हेतु दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उसकी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। रास्ते मांगे जाने हेतु किंसी काश्तकार/खातेदार के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, राजस्व कर्मचारियों ने मनमर्जी से रास्ता बताकर प्रस्ताव पेश कर दिया गया मौके पर आज भी कोई रास्ता कायम नहीं है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्ययालय ने पटवारी की एकतरफा जॉच रिपोर्ट भी हितबद्ध व भूमि के अपीलान्टस/खातेदारान की गैर गौजूदगी में एकपक्षीय व मिलिभगती से तैयार की गई, को आधार मानकर फेसला किया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जों कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन है, जो निरस्त योग्य किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किया जावें।

5. प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बालेसर की ओर से प्रेषित प्रस्ताव जिसमें ग्राम भालूकंला के ख0सं0 671, 674, 670, 675, 696, 677, 703, 701, 708, 710, 704, 705, 706,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

717, 711 की भूमि में से रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने बाबत पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत प्रकिया अनुसार स्वीकार किया गया है जो बहाल रख जावें।

6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ग्राम भालूकला तहसील बालेसर के ख0सं0 671, 674, 670, 675, 696, 677, 703, 701, 708, 710, 704, 705, 706, 717, 711 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे को रास्ते में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित किया है वो प्रभावित खातेदारान/अपीलार्थीगण को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है।

7. ऐसे में हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 704 ग्राम भालू कला के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 को अपीलान्टस के खसरा संख्या 704 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार बालेसर से मौका जॉच करवाकर मौका फर्द तैयार करावें, तत्पश्चात उपखण्ड

राजस्व अपील संख्या 22/2022 महेन्द्र वगैराह बनाम राज्य

अधिकारी, बालेसर उक्तानुसार तैयार मौका फर्द एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः यथोचित आदेश पारित करे। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.03.24

(अजीत सिंह राजावत)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर